

17 01 2025

वकील सार्वजनिक उपयोग के लिये लब्ध उपस्थित
 वकील उमरपूर को डूंग गंगा व पत्रावली का अन्तर्गत
 किया वकील सार्वजनिक उपयोग के लिये आर.न.
 514, 515 गंगा नदिया की तट में लक्ष्मीलक्ष्मी
 को लब्ध कर आर.न. लेप की स्थिति बताई है जिससे
 सही ढंग से सीमाहान नहीं हो सका है। अतः सार्वजनिक
 उपयोग के आर.न. का सीमाहान करण पर पत्रावली
 काला-पाए है।

प्रयोग के लक्ष्मीलक्ष्मी लब्ध उपस्थित से
 प्राप्त रिपोर्ट में संकेत तथ्यों को ध्यान में रख कर
 किया कि आर.न. लेप की स्थिति आर.न. का
 सीमाहान नहीं हो सका अतः वकील सार्वजनिक
 सीमाहान काला अभिहित होगा। सीमाहान नहीं होने के
 तथ्य तथा आर.न. लेप की स्थिति को सार्वजनिक नहीं
 किया है। अतः सीमाहान ही नहीं हुआ है।
 पत्रावली काला पाया संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में
 सार्वजनिक वकील सार्वजनिक से सीमाहान कराने के
 स्वतंत्र हैं। सीमाहान के अभाव में यह स्वतंत्र
 धारण किया जाता है। सार्वजनिक यदि वकील सार्वजनिक
 से सीमाहान काला है तो पुनः पत्रावली के
 धारणा पर हस्तुत करे है। स्वतंत्र होगा पत्रावली
 को लब्ध करण के लिये करण से करण होकर
 पाए है वकील सार्वजनिक है।

उपखण्डाधिकारी
 धौलपुर (राज०)